THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a)
In Ihe Seventh Five Year Plan, a provision of Rs. 577 crores has been made for the scheme of allotment of house sites and provision of construction assistance to the rural landless labour. During the years 1985-86 & 1986-87, the expenditure was Rs. 102. 85 crores and Rs. 142 crores (anticipated), respectively.

(h) and (c) Yes, sir. House-sit: s are alio. ted to the benefieiaries free of cost and construction assistance is provided to them. The '7th Five Year Plan scheme provides for Rs. 500|- for site development and Rs. 2000|- for construction assistance per family. For Uttar Pradesh, the plan outlay and the actual expenditure during the first 2 years of the 7th Five Year Plan were as follows;

(Rs. in crores)

1985-86		1986-87	
Outlay	E\pdr. Outlay	Expdr.	
3. 70	. 5-97	5. 10 (anticipated)	5. 30

उत्तर प्रदेश को जल आपूर्ति

2345. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति में सुधार करने के लिये केन्द्रीय सरकार को क्या सुझाव दिए गए हैं और इसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितनी धनराशि की मांग की गई है और उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति में सुधार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से कोई विशिष्टि सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

पेय जल आपूर्ति राज्य का एक विषय है और राज्य सरकारें ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं की योजना बनाने, उन्हें कार्य रूप देने तथा कार्यन्वित करने के लिए उत्तरदायी हैं । भारत सरकार केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं को तकनीकी स्वीकृति तथा वित्तीय सहायता देकर केवल राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को 1986–87 में 34.70 करोड़ रुपये और 1987–88 में अभी तक 23.62 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए गए हैं ।

दिल्ली में परिक्रमा रेल

2346. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या शहरी विकास मंत्रालय द्वारा गठित किये गये शहरी यातायात कार्यदल के संयोजक ने हाल ही में यह विचार व्यक्त किया है कि दिल्ली में में परिक्रमा रेल विफल रही है क्योंकि इसे यातायात की मुख्य धारा के साथ जोड़ा नहीं जा सका; और

(ख) यातायात योजना के संचालन तथा अनुरक्षण के लिये एवं उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिये क्या सुझाव दिये गये है और उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) शहरी विकास मंत्रालय ने किसी समिति अथवा कार्यकारी दल का गठन नहीं किया था । तथापि, योजना आयोग ने रिंग रेलवे की समस्याओं पर विचार करने के लिए डा० एम० क्यू० दल्वी की अध्यक्षता में दिसम्बर, 1982 में एक समिति का गठन किया था जिसमें रिंग रेलवे सेवा की अलोकप्रियता के लिए निम्नलिखित कारण बताये :—

(i) रिंग रेलवे के साथ-साथ भू-उपयोग की अपर्याप्तता :